पटना में दिनांक—10 जनवरी, 2018 बुधवार को अपराह्न 5:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

1. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के संचालित एवं निर्मित तथा निकट भविष्य में संचालित होने वाले छात्रावासों के लिए छात्रावास प्रबंधक के 37 (सैंतीस) पदों के सृजन के संबंध में। — 1. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

2. सी०डब्लू०जे०सी० सं०—1904/2015 श्रीमती लुखी देवी उर्फ दुखिया देवी पति स्व० पोलाय मुनी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक—08.09.2016 के आलोक में प्रतिवादी श्रीमती लुखी देवी उर्फ दुखिया देवी के पेंशन निर्धारण हेतु दस वर्ष की न्यूनतम सेवावधि में छः माह एक दिन की अवधि को क्षांत करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में। — 2. **स्वीकृत।**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No.-22076/14 में दिनांक—08.11.2017 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में मो० कमाल अशरफ, तत्का० जिला अवर निबंधक भागलपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्तगी हेतु संसूचित दण्डादेश अधिसूचना सं०—4391 दिनांक—10.10.2014 को निरस्त करते हुए पुनः सेवा में बहाल करने की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 3. **स्वीकृत।**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

4. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग अन्तर्गत कार्यरत 14 अस्थायी अवर निबंधन कार्यालय, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), नीमचक बथानी, खीजरसराय (गया), तारापुर (मुंगेर), बलिया (बेगूसराय), पीरो (भोजपुर), मोहनियाँ (कैमूर), मोतीपुर (मुजफ्फरपुर), रक्सौल, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा), रजौली (नवादा), सूर्यगढ़ा (लखीसराय), रघुनाथपुर (सिवान), सिंधवलिया (गोपालगंज), फुलवारीशरीफ (पटना) के स्थायीकरण एवं उक्त कार्यालयों के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रिप्रहरी (अराजपत्रित) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित) के एक—एक पद (14 अवर निबंधक, 14 रात्रि प्रहरी एवं 14 आदेशपाल) के सृजन एवं स्थायीकरण का प्रस्ताव। — 4. **स्वीकृत।**

लघु जल संसाधन विभाग

5.	लघु जल संसाधन विभाग, बिहार में संविदा के आधार पर कार्यरत 10 (दस) कनीय अभियंताओं (असैनिक/यांत्रिक) को अगले एक वर्ष तक के लिए पुनर्नियोजित करने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–02 (औरंगाबाद–बरबड्डा) के 6 लेनिंग परियोजना हेतु औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल–मदनपुर के मौजा–मदनपुर, थाना सं०–785, खाता सं०– 296, खेसरा सं०–125, रकबा–1.4170 हेक्टेयर अर्थात 3.5013 एकड़ "यथास्थिति" में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–02 (औरंगाबाद–बरबड्डा) के 6 लेनिंग परियोजना हेतु औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल–मदनपुर के मौजा–शिवराजपुर, थाना सं०–890, खाता सं०–44 के विभिन्न खेसरा एवं विभिन्न रकबा का कुल रकबा–0.7988 हेक्टेयर अर्थात 1.9738 एकड़ भूमि, (भूमि विवरणी संलग्न–परिशिष्ट–I) "यथास्थिति" में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

8.	प्रायोजक निकाय All India Society for Electronics and Computer Technology को निजी क्षेत्र में सी०वी० रमण विश्वविद्यालय, वैशाली (भगवानपुर) की स्थापना एवं औपबंधिक रूप से दो वर्ष के लिए वैशाली (भगवानपुर) में किराए पर लिए गए भवन से विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

9.	राज्य के चिकित्सकों/चिकित्सा शिक्षकों के लिए केन्द्रीय डायनेमिक ए०सी०पी० के लाभ का प्रावधान हू–ब–हू लागू करने के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

10. पथ प्रमंडल सं०–1, गया के अन्तर्गत SH-70 के कि०मी० 0.00 से 37.30 तक (कुल 37.30 कि०मी० पथांश लंबाई, "गया–फतेहपुर–गोपी मोड़–मुरली खण्ड") में मिट्टी कार्य, विविध कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, ड्रेन कार्य, उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित पथ का IRQP /उन्नयन कार्य कुल 4764.00 लाख (सैंतालीस करोड़ चौंसठ लाख) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

11. पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत तेजपुरा से गौरा बाजार पथ के कि०मी० 0 से 6.375 (कुल 6.375 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, सीमेन्ट कंक्रीट (PQC) पथ कार्य, हार्ड शोल्डरिंग कार्य, उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 2423.20 लाख (चौबीस करोड़ तेईस लाख बीस हजार) रूपये के प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 11. **स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

12. संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 09 (नौ) कनीय अभियंता (असैनिक) का अगले एक वर्ष दिनांक–01.07.2017 से 30.06.2018 तक पुनर्नियोजन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 12. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

13. समादेश याचिका सं०–12728/2012 में दिनांक–08.10.2012 को पारित आदेश के आलोक में विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में रिक्त पद के विरूद्ध अनुबंध के आधार पर पूर्व में कार्यरत कुल 24 सहायक प्राध्यापक एवं कुल 58 व्याख्याताओं को बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियमित नियुक्ति होने तक अथवा आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए, जो पहले हो, तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में। — 13. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

14. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के लिए सृजित सहायक प्रोग्रामर के पाँच अस्थायी पदों पर सेवाएँ वाह्य स्रोत से लिये जाने संबंधी शर्त्त को विलोपित करने तथा इन पदों पर आयोग के स्तर से विज्ञापन प्रकाशित कर नियमित नियुक्ति किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **14. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

15. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना को वित्तीय वर्ष 2017–18 में सहायक अनुदान की राशि ₹ 58,52,51,000/–(अन्ठावन करोड़ बावन लाख एकावन हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति। — **15. स्वीकृत।**

लघु जल संसाधन विभाग

16. लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत "बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना" के क्रियान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश संशोधित करने के संबंध में। — **16. स्वीकृत।**